



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार- 249404

पत्रांक :: 88 / 03(09) / डी0आर0 / डिग्री / सेवा-02 / 2017-18

दिनांक : 08 अक्टूबर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: 01/03/डी0आर0/सेवा-2/2017-18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर (गृह विज्ञान) के रिक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से दिनांक 05 एवं 06 मई, 2018 को सम्पन्न तृतीय चरण की स्क्रीनिंग परीक्षा के चयन परिणाम दिनांक 21 अगस्त, 2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित सं0-194/03(ix)/असि0प्रो0/डी0आर0/सेवा-02/2017-18, दिनांक 28 अगस्त, 2018 के सापेक्ष तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

असिस्टेंट प्रोफेसर (गृह विज्ञान)

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र
1.	600006	VIJAY LAXMI YADAV	विज्ञापन के परिशिष्ट-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन की अन्तिम तिथि 25.08.2017 तक वैध सम्यक् ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र।
2.	600391	KM MONIKA	1. एम0ए0 उपाधि। 2. विज्ञापन के परिशिष्ट-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन की अन्तिम तिथि 25.08.2017 तक वैध सम्यक् ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र। 3. निवास प्रमाण-पत्र में पिता के नाम में भिन्नता संबंधी शपथ-पत्र मूल रूप में।
3.	600436	MAYURI VERMA	विज्ञापन के परिशिष्ट-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन की अन्तिम तिथि 25.08.2017 तक वैध सम्यक् ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र।
4.	600522	SANGEETA SIDOLA	एम0एससी0 उपाधि।
5.	600544	MAYANI CHAUDHARY	विज्ञापन के परिशिष्ट-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन की अन्तिम तिथि 25.08.2017 तक वैध सम्यक् ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र।

मा0 आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में औपबन्धिक प्रवेश इस शर्त के साथ दिया गया है कि प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अर्ह घोषित उक्त अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) तक आयोग कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से डाक अनुभाग के काउन्टर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

Sd/-
(कर्मन्द्र सिंह)
सचिव।